उदयपुर की दीर्घकालीन जल सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी है, देवास तृतीय व चतुर्थ- भजनलाल

देवास-चतुर्थ के तहत 390 एमसीएफटी क्षमता के बांध तथा 4.15 किमी लंबी टनल का निर्माण हो रहा है

जयपुर, 8 अक्टूबर। उदयपुर की दीर्घकालीन जल सुरक्षा की दिशा में बेहद अहम, देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ चरण के अन्तर्गत बांध एवं टनल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में इस अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण परियोजना के अन्तर्गत, साबरमती बेसिन का जो अमूल्य जल व्यर्थ बहकर अरब सागर में चला जाता था, उसे बनास बेसिन की ओर अपवर्तित कर उदयपुर की जल व्यवस्था से जोडने का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि देवास के तृतीय व चतुर्थ चरण से उदयपुर शहर के लिए प्रति वर्ष लगभग 1000 एमसीएफटी अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा। इससे शहर की बढ़ती पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए पिछोला एवं फतह सागर झीलों में जल स्तर बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

देवास-चतुर्थ परियोजना के अंतर्गत, गोगुंदा तहसील के अंबावा गांव के पास 390 एमसीएफटी क्षमता के बांध तथा 4.15 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है। यहां से जल का अपवर्तन देवास-तृतीय परियोजना की ओर किया जाएगा। इसी प्रकार नाथियाथल गांव के पास 703 एमसीएफटी क्षमता के देवास-तृतीय बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध से जल को 10.50 किलोमीटर लंबी टनल के माध्यम से मौजूदा देवास-द्वितीय (आकोदड़ा बांध) तक आवश्यकतानुसार पिछोला झील में अपवर्तित किया जाएगा।

इस परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ चरण से उदयपुर शहर के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1000 एमसीएफटी अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा। इससे शहर की बढ़ती पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के साथ ही, पिछोला एवं फतहसागर झीलों में जल स्तर बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही, इससे पर्यटन गतिविधियों, ईको-टूरिज्म से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार के संवेदनशील निर्देशों के क्रम में परियोजना से प्रभावित परिवारों को निकटस्थ ही पुनर्वासित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन परिवारों के लिए आवासीय भूखंड एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उनका सुरक्षित एवं व्यवस्थित पुनर्वास हो सके।

उल्लेखनीय है कि उदयपुर की जल सुरक्षा के लिए 1974 में देवास का प्रथम चरण शुरू हुआ था। इसके बाद देवास-द्वितीय वर्ष 2015 में पूर्ण हुआ, जिसके अंतर्गत आकोदड़ा बांध एवं सुरंग प्रणाली के माध्यम से गुरूत्व प्रभाव द्वारा जल को उदयपुर की पिछोला झील तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित हुई। इसी दीर्घकालीन जल सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी देवास-तृतीय एवं देवास-चतुर्थ परियोजनाएं हैं।

गुरुग्राम का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारी रिंकू दुग्गा का तबादला अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के खिलाड़ियों ने भी वहां होने वाले संगीत कार्यक्रमों के कारण अभ्यास में बार-बार होने वाली परेशानी की शिकायत की है। अक्टूबर 2024 में दिलजीत दोसांझ के कन्सर्ट के बाद एथलेटिक्स ट्रैक 10 दिनों तक बंद रहा। इस दौरान सफाई और मरम्मत का काम चलने के कारण, खिलाड़ियों को वॉर्म-अप ट्रैक पर अभ्यास करना पड़ा।

2025 में यह मामला फिर सामने आया, जब खिलाड़ियों और कोचों ने स्टेडियम के इस्तेमाल को लेकर स्पष्टता मांगी, क्योंकि उस समय स्टेडियम को ट्रैविस स्कॉट के कन्सर्ट के लिए तैयार किया जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया ने जेएलएन स्टेडियम में गैर-खेल आयोजनों के लिए सख्त स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोजीजर एस.ओ.पी. लागू किए। इनमें यह सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल थे कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों के अभ्यास या प्रतियोगिताओं पर असर न पड़े।

'पुरानी भारतीय कम्पनियाँ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑथराइज़ेशन के साथ यूनिफाइड लाइसेंस हैं: स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और वनवैब इंडिया कम्युनिकेशंस (भारती समर्थित यूटेलसैट वनवैब)। लाइसेंस की शर्तों के तहत, यूज़र्स और डेटा की सुरक्षा के लिए तीनों कंपनियों की सुरक्षा जांच एक साथ चल रही है। जांच पूरी होने के बाद हर कंपनी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए आवेदन कर सकती है। अभी तक किसी ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, इसलिए कोई भी कमर्शियल तौर पर लॉन्च नहीं कर सकता। तकनीकी रूप से, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय या हाइब्रिड कंपनियां मुख्य रूप से लो-अर्थ-ऑर्बिट (एलईओ) सिस्टम पर निर्भर हैं। इनकी डेटा पहुंचने की गति पारंपरिक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में बेहतर होती है। स्टारलिंक सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क संचालित करता है। इसके हजारों सैटेलाइट लगभग 480 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। यह आम तौर पर 25 से 220 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड देता है। इसमें सैटेलाइट के बीच लेजर लिंक और छोटे यूजर टर्मिनल हैं, जो डायरैक्ट-टु-होम इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं।

वनवैब एक छोटा एलईओ फ्लीट (लगभग 1200 कि.मी. की ऊँचाई पर 650 सैटेलाइट्स) ऑपरेट करता है, जिसे मुख्य रूप से एंटरप्राइज, समुद्री, एविएशन और सरकारी इस्तेमाल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है: इसमें मास मार्केट टर्मिनल्स पर कम ज़ोर दिया गया है। जियो सैटेलाइट, जो शुरु में एसईएस की मल्टी-ऑर्बिट क्षमता (एमईओ सहित) का इस्तेमाल कर रहा है, लगभग 650 कि.मी. की ऊँचाई पर करीब 1600 सैटेलाइट्स का एक स्वदेशी एलईओ कॉन्स्टलेशन विकसित कर रहा है, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में बड़ी क्षमता वाली सेवा देना है।

तीनों एलईओ तकनीकें पुराने जीईओ सिस्टम से कहीं बेहतर हैं। इसलिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को, जमीनी ब्रॉडबैंड का पूरी तरह से विकल्प मानने के बजाय, मुख्य रूप से ग्रामीण, दूरदराज और आपदा संभावित क्षेत्रों के लिए मौजूदा इंटरनेट सेवाओं के पूरक के रूप में देखा जा रहा है।

यह विवाद दिखाता है कि घरेलू प्रतिस्पर्धा के बीच भारत विदेशी सैटेलाइट सिस्टम को लेकर सावधानी से आगे बढ़ रहा है। जब तक सुरक्षा जांच पूरी नहीं होती और स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया जाता, तब तक सभी लाइसेंसधारकों की व्यावसायिक सेवा शुरू करने पर रोक रहेगी।

नाहरगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ले चुका था और इसके बाद 20 हजार रुपए की मांग कर रहा था। वहीं, शिवकिशोर 30 हजार रुपए मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक एसीबी जयपुर पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में टीम गठित की गई। टीम ने गुरुवार को ट्रेप कार्रवाई करते हुए, श्याम सिंह को 20 हजार और शिवकिशोर को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

जेडीए आयुक्त और उपायुक्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर को पेश किया जाए। आयोग ने ये आदेश कृष्णा के अवमानना परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

परिवाद से जुड़े अधिवक्ता उमेश श्रृंगी ने बताया कि परिवादी ने जेडीए की निलय कुंज आवास योजना में आवेदन किया था, जिसकी लॉटरी में उसे भूखंड संख्या 454 आवंटित किया गया, लेकिन एक साल में भी भूखंड का कब्जा नहीं देने पर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग पर परिवाद पेश किया। चार साल की सुनवाई के बाद साल 2016 में उपभोक्ता आयोग ने जेडीए को आदेश दिए कि वह परिवादी को आवंटित भूखंड का कब्जा पत्र जारी करे। इस आदेश को जेडीए ने पहले राज्य आयोग और उसके बाद नेशनल कमीशन सहित, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन किसी स्तर पर जेडीए को राहत नहीं मिली। दूसरी ओर, आदेश की पालना नहीं होने पर परिवादी की ओर से साल 2020 में जिला आयोग के समक्ष अवमानना याचिका पेश कर कार्रवाई की गुहार की गई। परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि आयोग ने जिस भूखंड संख्या 454 को आवंटित करने का आदेश दिया था, जेडीए ने उसे किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया। इसके बाद परिवादी को भूखंड संख्या 194 आवंटित करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसे भी बाद में किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया। वहीं परिवादी को निलय कुंज योजना फेज-द्वितीय में भूखंड संख्या 7 आवंटित किया गया। जिसकी संपूर्ण राशि परिवादी ने जमा करा दी, लेकिन जेडीए ने उसकी आगे से चौडाई को काटकर स्वरूप ही बदल दिया, जिससे परिवादी को वास्तविक व पूर्ण कब्जा प्राप्त नहीं हो सका।

भारी मुनाफे के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था। इसके बाद विदेश में कारोबार होने और भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर मुंह-मांगे दाम पर बड़ी मात्रा में कीमती पत्थर खरीद लेता था। माल हासिल करने के बाद उसे सस्ते दाम में बेच देता और प्राप्त राशि का कुछ हिस्सा व्यापारी को देकर शेष रकम अपनी अय्याशी, महंगी पार्टियों और विदेश यात्राओं पर खर्च करता था।

थानाधिकारी छगन डांगी ने बताया कि अमृतपुरी, एलेक्जेंडर कॉलोनी निवासी व्यापारी शुजात अंसारी पुत्र मोहम्मद इस्लाम ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामगंज निवासी अलजेब खान उससे तुरमलीन स्टोन, पन्ना, तंजानाइट और सुनहेला जैसे कीमती पत्थर खरीदता था। आरोपी ने अच्छा मुनाफा देने का झांसा देकर व्यापारी से करीब 1 करोड 61 लाख रुपए के कीमती पत्थर खरीद लिए और बाद में ठगी कर फरार हो गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने व्यापारी से ठगे गए कीमती पत्थर किन लोगों को और कितनी कीमत में बेचे।

फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए, उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। नाना के करीबी मित्र गणेश थोराट ने बताया कि पुणे के बाहरी इलाके में स्थित फार्महाउस में नाना का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नाना का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड-जंजीरा में हुआ था। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई की। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर में अपनी पहचान बनाई और आगे चलकर हिंदी तथा मराठी सिनेमा के दिग्गज कलाकार बने। उन्होंने अभिनय के साथ निर्देशन और लेखन में भी हाथ आजमाया। अपने शानदार अभिनय के लिए उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित, कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष 2013 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था।

परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, तिरंगा, अब तक छप्पन, वेलकम और नटसम्राट जैसी फिल्मों में उनके यादगार किरदार हमेशा याद किए जाएंगे।

जयपुर कलैक्टर दो साल से सूरज मैदान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विवाद को लेकर पेश अभ्यावेदन पर दो साल से निर्णय क्यों नहीं किया गया। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश पत्रकार कॉलोनी व श्रीराम एरिया विकास समिति की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी की ओर से इस संबंध में लिया गया निर्णय पेश कर दिया जाता है तो कलेक्टर को पेश होने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान, एएजी भुवनेश शर्मा की ओर से मामले में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल की ओर से लिए गए निर्णय को पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने समय देते हुए निर्णय पेश नहीं करने पर कलेक्टर को तलब किया है। अपील में अदालत को बताया गया कि तत्कालीन यूआईटी ने आदर्श नगर योजना बनाते समय यहां पार्क के लिए आरक्षित जगह छोड़ी थी। वहीं जेडीए के अस्तित्व में आने के बाद, इस जगह को खेल मैदान घोषित कर दिया गया। आदर्श नगर को जयपुर नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने के बाद इस जगह का स्वामित्व निगम के पास आ गया। इस सूरज मैदान से सटा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, जो अपने विद्यार्थियों के खेलकूद के लिए इस मैदान का उपयोग करने लगा। स्कूल की प्रबंध समिति अब बिना किसी अधिकार और स्वामित्व के इस मैदान को शादियों और व्यावसायिक इवेंट के लिए दे रही है और इसके बदले समिति भारी धनराशि चंदे के रूप में ले रही है।

'चुनाव आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और "अराजक तत्वों" को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि "लोकतंत्र की असली ताकत जनता का भरोसा ही है।

Creative Visualisation. Images used are for illustration purposes only. Applicable T&C available at the nearest dealership. #543 km range: Certified range; actual results may vary by driving conditions and usage. Assured buyback plan is available on payment basis with the option of 3 years/45 000 km or 4 years/60 000 km ownership plans (whichever is earlier). The program is offered through an insurance company. e VITARA comes with standard warranty of 3 years or 1 00 000 km (whichever is earlier) with an option of extending the same on payment basis to 5 years or 1 40 000 km (whichever is earlier), and service activated coverage for 6th to 8th year for EV related components. *The Booking Bonanza Offer / Special Bonanza Offer is applicable on bookings made until 10th October 2026 and invoicing of vehicles completed till 20th October 2026 on select variants. Offers and their related terms may vary, are subject to availability of stock, and are valid for a limited period. Maruti Suzuki reserves the right to modify, withdraw or discontinue any offer at any time without prior notice. **₹10.99 lakh (ex-showroom) price for e VITARA Delta. Battery EMI: ₹3.99/km (subject to applicable financier terms). Taxes and other applicable statutory charges are extra.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालौर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424, हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600